

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
चंडीगढ़ ।

सेवा में

निदेशक,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
हरियाणा, चंडीगढ़ ।

क्रमांक:

दिनांक:

विषय:- डा0 बी0आर0अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना में संशोधन करने
बारे।

उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 247-स.क.(1)-2017
दिनांक 28.02.2017 के संदर्भ में ।

2. हरियाणा के राज्यपाल महोदय द्वारा अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति तथा
टपरीवास जाति के लिए कार्यान्वित की जा रही डा0 बी0आर0अम्बेडकर आवास नवीनीकरण
योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली 25000/-रुपये की राशि को बढ़ा कर 50,000/-रुपये
करने की स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की गई है कि वर्ष 2018-19 में उपलब्ध बजट से
अतिरिक्त राशि की मांग नहीं की जाएगी ।

3. स्कीम की अन्य टर्मज एण्ड कन्डीशनज यथावत रहेंगी ।

4. यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशा: क्र0 02/06/2016-5 एफ0जी0-आ/
5341 दिनांक 03.07.2018 द्वारा दी गई मंत्रणा अनुसार जारी की जा रही है ।

- 54 -

अधीक्षक,

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
चंडीगढ़ ।

पृ0क0 1034-SW-(1) 2018

दिनांक: 10-7-2018

- एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-
1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
 2. महालेखाकार (आडिट), हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
 3. सभी उपायुक्त हरियाणा राज्य में ।
 4. मुख्य लेखा अधिकारी, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

.....जारी.....

5. उपनिदेशक (स्कीम), अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
6. अनुसंधान अधिकारी, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
7. सभी जिला कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य में ।

Rangbans Singh
अधीक्षक,

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
चण्डीगढ़ ।

एक प्रति प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग को उनके अशा क्र० 02/06/2016-5 एफ०जी०-II/5341 दिनांक 03.07.2018के संदर्भ में प्रेषित है ।

Sd/-
अधीक्षक,

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
चण्डीगढ़ ।

सेवा में

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग ।

अशा: क०:

दिनांक: